कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली की स्वीकृति से आप सभी को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के 8वें खण्ड में की गई संस्तुतियों/सिफारिशों में उल्लिखित विषयों से अवगत करवाया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है:-

1. केन्द्रीय राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार संकल्पों, साधारण आदेश, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों और किसी कार्यालय/निगम द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिये तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिये हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही प्रयोग में लाई जायें।
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार किसी भी विभाग में हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है।
3. अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं और सेवा अभिलेखों में हिंदी/द्विभाषी रबड़ स्टाम्प की सहायता से रूटीन प्रविष्टियां की जा सकती हैं।
4. दिल्ली सरकार के किसी विभाग में कोड/मैनुअल केवल अंग्रेजी में तैयार न किये जायें और इस समय अंग्रेजी में मौजूद समस्त कोड/मैनुअल एक वर्ष के भीतर हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनवाने के लिये इस विभाग को अनुवाद के लिये भेजे जायें।
5. जब भी कोई विभाग या स्थानीय निकाय/उपक्रम अपनी वेबसाइट तैयार करें तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार की जाये। जिस विभाग की वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है, उस विभाग द्वारा उसे हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
6. सरकार के समस्त विभागों/उपक्रमों/निगमों के समस्त कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से डाला जाये।
7. यदि कोई विभाग विज्ञापन देना चाहता है तो वे अंग्रेजी के अखबार में हिन्दी के विज्ञापन भी दे सकते हैं और सभी विभाग विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करायें। इन विज्ञापनों पर कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिन्दी और 50 प्रतिशत अंग्रेजी एवं प्रान्तीय भाषाओं पर खर्च किया जाये।
8. उपक्रमों/निगमों में विद्यमान सभी स्वदेशी और विदेशी यंत्रों/संयन्त्रों पर समस्त विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में दर्ज किये जायें।
9. भविष्य में सभी उपक्रमों/निगमों के प्रतीक चिन्ह/लोगो या तो द्विभाषी अथवा चित्रात्मक बनवाए जायें।
10. उपक्रमों/निगमों द्वारा निर्यात योग्य समस्त सामग्री पर आवश्यक विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में ही अंकित किए जायें।
11. उपक्रमों/निगमों के ब्रोशर, बिल-वाउचर जैसे मुद्रित सामग्री और प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त सामग्री अनिवार्य रूप से हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाए।
12. सभी उपक्रमों/निगमों की वेबसाइटें शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में तैयार की जानी चाहिये तथा उनपर वे अपने कार्य-कलापों और उत्पादों के बारे में अंग्रेजी के साथ-साथ अनिवार्य रूप से हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध कराएं।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त संस्तुतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनके अनुरूप अपना अपेक्षित सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी या द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, निष्पादित करें।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली-सह-
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 7887-8087/हिन्दी/237–238/2019 दिल्ली, दिनांक 06/2/19

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, उत्तर–पश्चिम, उत्तर जिला, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. सभी समितियों के विद्वान अध्यक्ष, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. कार्यालय मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. समस्त न्यायिक जिलों के सभी नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, राजभाषा हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय, उत्तर–पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण–पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण–पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर–पूर्व, दिल्ली/नई दिल्ली।
8. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. आहरण एवं संवितरण अधिकारी व लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
10. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), सामान्य अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
11. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/देखरेख अधिकारी, देखरेख अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
12. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), कम्प्यूटर अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
13. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), खरीद शाखा, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
14. उप–सचिव/हिन्दी अधिकारी, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवा तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
15. वेबसाइट समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
16. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, इस अनुरोध सहित की इसे लेयर्स के द्वारा केन्द्रीयकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित/प्रतिस्थापित करने का कष्ट करें।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली–सह–
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम): दिल्ली

संख्या 3432-3502/हिन्दी/पश्चिम/237/2019 दिल्ली, दिनांक 7/2/19

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कार्यवाहक), पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के आदेशानुसार, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली की स्वीकृति से जारी परिपत्र संख्या 7887-8087/हिन्दी/237-238/2019 दिनांक 06/02/2019 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली-सह-अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
3. प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
7. देखरेख अधिकारी (केयर टेकर), पश्चिम, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. निजी सचिव/रीडर, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कार्यवाहक), पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
9. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, इस अनुरोध सहित कि इसे लेयर्स के द्वारा केन्द्रीयकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित/प्रतिस्थापित करने का कष्ट करें।

(नोटः उपरोक्त सभी माननीय न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को उपरोक्त परिपत्र से अवगत करवाएँ।)

(टी. प्रियदर्शिनी)
महानगर दण्डाधिकारी (परक्राम्य लिखत अधिनियम), पश्चिम जिला/
नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।